न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 151/2018(2018/00498)

सूरजकरण पुत्र गोकल जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. रामधन पुत्र रामचन्द्र जाति रेगर
2. मुकेश पुत्र गोपाल जाट
   निवासीगण फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. पूरण पुत्र प्रहलाद रेगर निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

––अप्रार्थीगण

5. देवकरण पुत्र गोकुल जाट
6. करतार पुत्र गोकल जाट
   निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर। ––प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री सांवरलाल चौधरी–प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री मुकेश गढवाल–अप्रार्थीगण अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 22.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम काली तलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया पुराना		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
42	40	681/915	0.05	बारानी–3
		किता 1	रकबा 0.05 हैक्टर	

उपरोक्त वाद वर्णित आराजी में प्राथी का 1/3 हिस्सा तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की आराजीयात को काश्त कर उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी में भी वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। वादवर्णित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का कोई हक हिस्सा व अधिकार, वास्ता व सरोकार नही है लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने नाजायज एवं अवैध रूप से प्रार्थी को उसके कब्जे, काश्त, स्वामित्व आधिपत्य की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है तथा आराजीयात को मिट्टी डालकर खुर्दबुर्द करने पर उतारू हो रहे है तथा आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा निर्माण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर उतारू हो रहे है। दिनांक 11.12.2018 को प्रार्थी को अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने वादवर्णित आराजीयात को छोडने, काश्त नही करने की ऐलानिया धमकिया दी। प्रार्थी द्वारा मना करने पर आराजीयात के उपयोग उपभोग नही करने देने एवं जबरन बेदखल करने, हाथ पेर तोड देने एवं झूठे मुकदमे लगाकर जेल भिजवा देने की ऐलानिया धमकियां दी जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा नही पंहूचाने, जबरन बैदखल नही करने, निर्माण नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का जावब निम्नानुसार है–

पेरा संख्या 01 के क्रम में गलत, झूठे, मिथ्या एवं निराधार तथ्यों के आधार पर झूठा वादपत्र पेश करने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया है। पेरा संख्या 02 में वर्णित कथन पुश्तैनी आराजीयात का होना अस्वीकार है तथा केवल इतना कथन स्वीकार है कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम काली तलाई का खेडा में स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 तथा रेगर समाज के व्यक्तियों का कब्जा आज से 50 वर्षो से चला आ रहा है तथा आज भी रेगर समाज के व्यक्तियों का ही कब्जा आधिपत्या है। पेरा संख्या 03 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण ने वाद वर्णित आराजीयात में कभी काश्त नही की है। पेरा संख्या 05 से पेरा संख्या 11 तक में वर्णित अस्वीकार है। जवाब के अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि वादवर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात नही है ना ही अलोटशुदा है बल्कि राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं सहवन से वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम पेंसिल से लिख देने से गलत दर्ज हो चुकी है जो निरस्त होने योग्य है। वाद वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 तथा रेगर समाज के अन्य व्यक्तिगण सीताराम पुत्र ग्यारसा, रामदेव पुत्र लादू, बद्रीलाल पुत्र नारायण, रामेश्वर पुत्र हरला, रिद्धकरण पुत्र देबी, माधू पुत्र मांगीलाल, गलोल पुत्री काना, दुर्गा पुत्र नारायण इत्यादि की रोडियां अपने पूर्वजो के समय से करीबन 50 वर्षो से बनी हुई है जिस पर प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण तथा इनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा आधिपत्य नही रहा है और ना ही वर्तमान में है। वाद वर्णित आराजीयात जिसके पुराने खसरा नम्बर 563/1 संवत 2051 से 2054 की गिरदावरी में राजस्व अधिकारियों की गलती से पेंसिल से गोकल पुत्र हरजी जाट जो कि प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पिता है का नाम लिख दिया था जिसे राजस्व अधिकारियों ने लगातार अंकित करते हुए खातेदार काश्तकार सहवन एवं भूलवश बना दिया था। आराजीयात पर गोकल पुत्र हरजी जाट का कभी कब्जा, आधिपत्य नही रहा है ना ही कभी आवंटित किया गया है। वादवर्णित आराजीयात रेगर समाज के व्यक्तियों की आबादी भूमि के बीच में स्थित है जिस पर रेगर समाज के व्यक्तियों एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अर्से दराज से गोबर के खाद की रोडियां डालने के रूप में उपयोग उपभोग लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर रेगर समाज का सार्वजनिक छोटा बाबा रामदेव जी का चबूतरा बना हुआ है तथा रेगर समाज के सभी व्यक्ति तथा अप्रार्थी 1 व 3 ने अपनी रोडियों को हटाकर बाबा रामदेव भगवान का मंदिर बनाने के लिए सफाई भी की है एवं आपसी सहमति से पत्थर भी डाल रखे है। यह रेगर समाज के व्यक्तियों की सम्मिलित सम्पत्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का सार्वजनिक हित में बाबा रामदेव मंदिर का निर्माण का हक अधिकार प्राप्त है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर समाज हित में सार्वजनिक हित व उपयोग उपभोग बाबत रेगर रामाज बाबा रामदेव समिति काली तलाई का खेडा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम काली तलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 42–40 के खसरा नम्बर 681/915 रकबा 0.05 हैक्टर पर मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner